न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 23/2022

प्रार्थीगण	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1. करणसिंह 2. दलपतसिंह पिसरान प्रतापसिंह जातियान रावणा राजपूत निवासीयान मालवाड़ा तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर		1. इन्द्राकंवर पत्नि हनवन्तसिंह जाति रावणा राजपू निवासी मालवाड़ा तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर 2. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाड़ा जिला सांचौर 3. शाखा प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा मालवाड़ा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 राजपेरोकार।

–: निर्णय :–

दिनांक – 01.02.2024

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि सरहद मौजा मालवाड़ा तहसील रानीवाड़ा में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 492 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नंबर 494 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नंबर 852/493 रकबा 1.04 हैक्टेयर जुमले रकबा 2.00 हैक्टेयर आई हुई हैं। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में करणसिंह पुत्र प्रतापसिंह हिस्सा 1/2 जाति रावणा राजपूत सा. देह खातेदार, दलपतसिंह पुत्र प्रतापसिंह हिस्सा 1/2 जाति रावणा राजपूत सा. देह खातेदार के नाम से दर्ज हैं। प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित खातेदारी आराजी खसरा नंबर 492, 494, 852/493 के पड़ौस में पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 इन्द्राकंवर की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 493 रकबा 1.61हे. व खसरा नंबर 495 रकबा 1.37हे. हैं। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 इन्द्राकंवर पत्नि हनवन्तसिंह जाति रावणा राजपूत सा. देह खातेदार के नाम से दर्ज हैं।
2. प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 492, 494, 852/493 व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी 493, 495 की सीमा को लेकर विवाद हैं तथा उक्त सीमा विवाद करते रहते हैं। सीमा को लेकर विवाद होने पर प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाड़ा से उक्त आराजी की पैमाईश करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाड़ा द्वारा अपने आदेश क्रमांक 98 पृष्ठ संख्या 10 दिनांक 29.03.2022 के जरिये उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश दिए गए थे, उक्त आदेश की पालना में हल्का पटवारी मालवाड़ा दिनांक 01.04.2022 को मौके पर पैमाईश हेतु गए परन्तु मौके पर सीमा का विवाद होने से हल्का पटवारी मालवाड़ा द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाड़ा के आदेश की पालना नहीं की जा सकी तथा प्रार्थीगण की उक्त आराजी की सीमांकन विवाद होने से नहीं किया गया। प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 492, 494, 852/493 व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 493, 495 की सीमा को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 व इनके परिवार वाले सीमा पर विवाद करते रहते हैं। इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण अपने नाम की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 492, 494, 852/493 व अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 493, 495 की पैमाईश कर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी की बीच की सीमा का सीमांकन कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गड्ढी करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी हैं।

3. अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन हैं कि सहरद मोजा मालवाड़ा तहसील रानीवाड़ा में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नंबर 492 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नंबर 494 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नंबर 852/493 रकबा 1.04 हैक्टेयर जुमले रकबा 2.00 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी 493 रकबा 1.61 हैक्टेयर खसरा नंबर 495 रकबा 1.37 हैक्टेयर के बीच की सीमा का सीमांकन कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गड्ढी करने के आदेश फरमावे।

4. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 2 राजपेरोकार द्वारा जवाब नहीं देने से इनका जवाब बंद किया गया।

5. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता व राजपेरोकार की बहस सुनी गई। पत्रावली मे पेश प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता व राजपेरोकार के बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 01.04.2022 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाने पर मौजा मालवाडा के खसरा नम्बर 494 ,852/493 व 493 की आराजी के माठों पर विवाद होने से सीमाकंन नहीं किया गया। राजपेरोकार ने बहस में सीमाविवाद होना स्वीकार किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द में भी मौके पर सीमाविवाद होना प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः मौजा मालवाडा के खसरा नम्बर 494, 852/493 की आराजी के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा मालवाडा के खसरा 494, 852/493 व 493 रकबा क्रमश 0.35, 1.04 व 1.61 हैक्टेयर आराजी के मध्य माठ की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियॉ नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 01.02.2024 को मेरे द्वारा इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:26 IST
Reason: SelfAttested